

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 2013

सं. फा. 7(180)/12/DoFS/प्रशा./पार्ट फाईल/2012/2417-2432—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (2006 का 34) की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसरण में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसके द्वारा निम्नलिखित पदनामित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समूचे क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उद्देश्यों के लिए पदनामित अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् :

1. श्री प्रमोद एम. कोठेकर

के.जे.आर. बर्मन, आयुक्त

✓ DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

NOTIFICATION

Delhi, the 4th July, 2013

No. F. 7(180)/12/DoFS/Admn/Pt. File/2012/2417-2432.—In pursuance of sub-section (1) of Section 36 of the Food Safety and Standards Act 2006 (34 of 2006), the Commission of Food Safety, National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the following as Designated Officers under the Food Safety and Standards Act, 2006 for the entire area of National Capital Territory of Delhi, namely :

1. Shri Pramod M. Kothekar

K.J.R. BURMAN, Commissioner

2959 DG/13-3